V8.14368

रजिस्ट्री भंग डी॰ एल॰-33004/99

N ATHOY

- 1028 - 14-01

REGD. NO. D. L.-33004/99

ल्हारी । जनसम्बद्धाः विवरण एकक

# He Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II — Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY PO.350 PM. 30 Depts-100 MB 220

सं. 147] No. 147] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2004/चैत्र 3, 1926 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2004/CHAITRA 3, 1926

वित्त मंत्रालय

( अर्थिक कार्यं विभाग )

( भारतीय रिजर्व बैंक )

(विदेशी मुद्रा विभाग)

केन्द्रीय कार्यालय

अधिमुचना

मुम्बई, 5 फरवरी, 2004

सं. फेमा. 110/2004-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध ( अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन ) ( संशोधन ) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 207(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6, उपधारा (2), धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग तथा दिनांक मई 3, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 1/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार के साथ परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, नामत:,

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) (संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

### 2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 (इसके आगे ''उक्त विनियमावली'' अभिहित) में विनियम 4(क) के बाद निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

''बशर्ते कि---

(क) अधिनियम के प्रावधानों अथवा नियमावली अथवा विनियमावली अथवा निदेश अथवा उनके अंतर्गत बनाए गए अथवा जारी आदेश के अधीन, निवासी व्यक्ति प्राधिकृत व्यक्ति से, अनुसूची I में विनिर्दिष्ट लेनदेन से संबंधित पूंजी खाता लेनदेन के लिए प्रति कैलेंडर वर्ष अधिकतम 25,000 अमरीकी डॉलर विदेशी मुद्रा आहरित कर सकता है:

वरा

1000

प्रभारी

(ख) यदि निवासी व्यक्ति द्वारा अनुसूची I में विनिर्दिष्ट किसी पूंजी खाता लेनदेन के लिए प्रति कैलेंडर वर्ष विदेशी मुद्रा का आहरण 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक होता है तो लेनदेन के लिए आहरण के संबंध में संगत विनियमावली में विनिर्दिष्ट सीमा लाग होगी।

बशर्ते यह भी कि खंड (क) के पहले प्रावधान के अंतर्गत आहरित 25,000 अमरीकी डॉलर विदेशी मुद्रा का कोई भी हिस्सा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) द्वारा समय-समय पर अधिसृचित और घोषित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी संबंधित को सूचित किए गए गैर-सहकारी देशों तथा प्रदेशों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रेषण हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।''

[फा. सं. 1/1/ईसी/2004]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th February, 2004

### No. FEMA 110/2004-RB

# Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 207(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 6, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA-1/2000-RB dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes, in consultation with Central Government, the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, namely:—

### 1. Short title and commencement :--

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Amendment) Regulations, 2004.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

### 2. Amendment to the Regulations:---

In the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transations) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "the said Regulations") after Regulation 4 (a), the following proviso shall be inserted; namely:—

"Provided that--

- (a) subject to the provisions of the Act or the rules or regulations or directions or orders made or issued thereunder, a resident individual may draw from an authorized person foreign exchange not exceeding US D 25,000 per calendar year for a capital account transaction specified in Schedule I;
- (b) where the drawal of foreign exchange by a resident individual for any capital account transaction specified in Schedule I exceeds US \$ 25,000 per calendar year, the limit specified in the regulations relevant to the transaction shall apply with respect to the drawal.

Provided further that no part of the foreign exchange of US \$25,000 drawn under clause (a) of the first proviso shall be used for remittance directly or indirectly to countries notified as non-cooperative countries and territories by Financial Action Task Force (FATF) from time to time and communicated by the Reserve Bank of India to all concerned."

[F. No.1/1/EC/2004]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director